मध्य प्रदेश में राजीव गाँधी जलग्रहण क्षेत्र कार्यक्रम का विकास

राहुल कुमार जैसवाल
वरिष्ठ शोध सहायक

प्राकृतिक संसाधनों की सहज उपलब्धता के बावजूद मध्यप्रदेश आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा माना जाता है। वैसे तो यह राज्य भारत के मध्य क्षेत्र, जिसकी वार्षिक औसत वर्षा 1150 मिलीमीटर है ,से निकलने वाली सभी प्रमुख नदियों का स्रोत है, फिर भी इसका अधिकांश भाग वर्षा पर आधारित खेती पर निर्भर है। प्रदेश का 80 प्रतिशत बुआई क्षेत्र,वर्षा आश्रित कृषिक्षेत्र में वर्गीकृत होने की स्थिति के कारण इस क्षेत्र में वार्षिक उत्पादन के सम्बन्ध में विश्वासपूर्वक कुछ भी कहना अथवा अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

मध्यप्रदेश शासन ने 20 अगस्त 1994 को ग्रामीण क्षेत्रों के समक्ष विकास हेतु जन सहभागिता द्वारा 7 मिशनों के गठन का संकल्प पारित किया एंव इस हेतु राजीव गाँधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन का गठन किया। मिशन द्वारा मिट्टी,पानी तथा प्राकृतिक वनस्पतियों जैसे संसाधनों की स्थिति में सुधार के लिए निम्न उद्देश्यों के साथ 1 अप्रैल 1995 से कार्य करना प्रारम्भ किया।

मिशन के उद्देश्य -

1. ग्रामीण समाज को जीवनयापन के लिए स्थायी आधार प्रदान करने की दृष्टि से वर्षा आश्रित क्षेत्रों में मिट्टी तथा पानी जैसे संसाधनों का संरक्षण एवं आवर्धन,ताकि सूखे की विभिषिका को कम किया जा सके और कृषि उत्पादन में बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि की जा सके।
2. वैज्ञानिक तथा तकनीकी ज्ञान की सुलभ एवं संदर्भ सामग्री को विकसित कर उसे सभी संबंधित को सरलता से उपलब्ध कराना, ताकि ब्यौरेवार तथा क्षेत्र की विशेषता एवं आवश्यकतानुसार संसाधनों के विकास व प्रबंधन की कार्य योजना बनाना एवं उनका क्रियान्वन सम्भव हो सके।
3. जलग्रहण क्षेत्र में भूमि एवं जल संरक्षण एवं आवध्रन कार्यो की कार्य योजनाएं बनाने, क्रियान्वन तथा रखरखाव में ग्रामीण समाज को उत्तरदायित्व सौंपना, ताकि लक्ष्य के अनुरूप परिणाम प्राप्त किया जा सके तथा योजनाओं का ताना-बाना प्रभावी एवं निर्दोष हो।
4. संसाधनों के बेहतर प्रबंध द्वारा पारिस्थितक बिगाड को नियंत्रित करने एवं संसाधनों के पर्यावरणीय आधार में सुधार करना।

सन् 1996 तक मध्यप्रदेश (अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़) में 37 जिलों के 340 ब्लाकों के 455 मिली जलग्रहण क्षेत्रों में राजीव गाँधी जलग्रहण क्षेत्र कार्यक्रमों को लागू किया गया था। वर्तमान में इसको प्रदेश के सभी ब्लाकों में लागू किया जा रहा है। जल ग्रहण क्षेत्र विकास की विभिन्न योजनाओं हेतु राशि उपलब्ध कराने का कार्य रोजगार आश्वासन योजना, सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम एवं एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम द्वारा किया जाता है ।

राजीव गाँधी जलग्रहण क्षेत्र विकास के कार्यक्रमों की प्रमुख विशेषता इसके कार्यो में जनसहभागिता को केन्द्र के रूप में स्वीकार करना है। इन कार्यक्रमों के निर्धारण से लेकर निर्माण एवं रख-रखाव तक की

सम्पूर्ण जिम्मेदारी उस क्षेत्र के ग्रामीणों को सौंपी जाती है। जलग्रहण क्षेत्र के विकास के कार्यक्रमों में पंचायत एवं जनप्रतिनिधियों, अशासकीय संस्थाओं, तकनीकी एवं शोध संस्थाओं ,शैक्षणिक एवं स्वयं सेवी संगठनों की भागीदारी जल एवं मृदा संरक्षण, वन सम्पदा के रखरखाव, सूखा उन्मूलन इत्यादि कार्यो को स्वयं उस क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा कराये जाने का प्रयास किया जाता है।

जलग्रहण क्षेत्र विकास के कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित कराई गई है। इस हेतु विभिन्न क्षेत्रों में महिला बचत समूहों की स्थापना द्वारा महिलाओं में छोटी बचतों हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। महिलाएं विकास के विभिन्न कार्यक्रमों से प्राप्त धन की बचत करके विभिन्न लघु रोजगार के कार्य कर अतिरिक्त आय प्राप्त करती है।

राजीव गाँधी जलग्रहण क्षेत्र विकास के कार्यक्रमों में ग्रामीण क्षेत्र की गरीब जनता ने अत्यंत उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया है एवं मजदूरी से प्राप्त धन का उपयोग जीवन स्तर को सुधारने में किया है। इन प्रयासों से अवैध वन कटाई पर रोक,शराबबंदी, परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम स्वप्रेरणा से गति पकड़ने लगे हैं। अनेक स्थानों पर बोल्डर एवं पत्थरों से पटी लगभग बंजर जमीन को कृषि योग्य बनाया गया है तथा जल एवं मृदा संरक्षण के कार्यक्रमों से सूखा उन्मूलन के कार्य किये गये है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार की तलाश में मजदूरों का पलायन भी कम हो सका है। मध्य प्रदेश में राजीव गाँधी जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के द्वारा महात्मा गाँधी के ग्राम स्वराज के सपनों को मूर्त रूप देने का प्रशंसनीय कार्य किया जा रहा है।

***